VIBHORE GOYAL
Advocate
Reg. No. UP 16816/99, UA 3803/04
Ph.: 9897968777

₹10
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT181976K2523L
18-NOV-2025
CANCELLED

केवल प्रतिलिपि फीस हेतु

प्रतिलिपि हेतु शुल्क – 10/– रूपयें

| प्रार्थना पत्र देने की दिनांक | नोटिस का दिनांक | जारी करने का दिनांक | हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक |
|---|---|---|---|
| 30<br>20 FEB 2026 | 23 FEB 2026 | 23 FEB 2026 | 23 FEB 2026 |

न्यायालय पंचम अपर सिविल जज (सी०डि०)/
ए० सी० जे० एम० देहरादून/
प्रकीर्ण फौ०वा०द०सं० 1895/2024

[redacted]

[redacted]

एकमात्र नकल – आदेश दिनांक 19-02-26

न्यायालय
डिस्ट्रिक्ट व
सेशन जज
देहरादून

न्यायालय : पंचम अपर सिविल जज, सी0डि0/ए0सी0जे0एम0 देहरादून
वाद सं0–1895/2024
[redacted]

दिनांक: 19.02.2026

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर सुना जा चुका हैं। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। आदेश निम्नवत पारित किया जाता हैः–

**निस्तारण प्रार्थना पत्र**

2. संक्षेप में विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र में कथन हैं कि प्रार्थिनी ने उक्त प्रार्थना पत्र में कोई विशिष्ट तारीख, महीना या वर्ष का उल्लेख नहीं किया है। वैवाहिक विवाद प्रार्थिनी एवं विपक्षी संख्या 1 के बीच है और विपक्षी संख्या 2, 3, 4 एवं 5 को अनावश्यक रूप से अभियुक्त बनाया गया है। विपक्षीगण द्वारा कभी भी प्रार्थिनी या उसके परिवार से कोई धन, आभूषण या दहेज नहीं लिया है। विपक्षी संख्या 2 और 3 वरिष्ठ नागरिक है और विवाद में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संलिप्तता नहीं है। विपक्षी संख्या 5 को बिना किसी आधार के झूठा फंसाया गया है। वह एक छात्र था और उसने कभी प्रार्थिनी से बातचीत नहीं की। विपक्षी संख्या 4 का विवाह प्रार्थिनी और विपक्षी संख्या 1 के विवाह से लगभग डेढ़ वर्ष पहले हुआ था और विवाह के बाद से विपक्षी संख्या 4 बैंगलोर स्थित अपने वैवाहिक घर में रह रही है। विपक्षी संख्या 2 ता 5 के विरूद्ध घरेलू हिंसा का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। अतः विपक्षी संख्या 1 ता 5 के नाम पक्षकारों की सूची से हटाने की प्रार्थना की गई।

3. प्रार्थिनी की ओर से आपत्ति में संक्षेपता कथन किया गया हैं कि कि प्रार्थिनी के साथ विपक्षीगण ने घरेलू हिंसा कारित की गई है। विपक्षी संख्या 3 ने अकारण प्रार्थिनी के साथ घरेलू हिंसा कारित की है तथा जब वह अपने पति के साथ कार्य स्थल पर भी होती थी तो थी वह फोन पर विपक्षी संख्या 1 को प्रार्थिनी के कार्य व्यवहार में मीनमेख निकालती थी। विपक्षी संख्या 4 का ससुराल तिनसुकिया में ही स्थित है और जब–जब विपक्षी संख्या 4 को मौका मिला उसने परिवादिनी के साथ असम्भ्य व क्रूर व्यवहार किया। प्रार्थिनी के सास–ससुर ने वैवाहिक घर में प्रार्थिनी के साथ रहे है तथा उन्होंने परिवाद पत्र में वर्णित घरेलू हिंसा के कृत्य व कटाक्ष भी परिवादिनी पर किए है। विपक्षी संख्या 2 व 3 ने कभी भी पक्षकारों के वैवाहिक सम्बन्धों को बनाने हेतु पहल नहीं की, अपितु प्रार्थिनी के साथ ही क्रूर व्यवहार किया तथा उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। अतः विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध है तथा सव्यय निरस्त होने योग्य है।

4. प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. वर्तमान प्रकरण में विपक्षीगण का कथन हैं कि विपक्षी संख्या 2 ता 5 के द्वारा प्रार्थिनी के साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा नही की गयी हैं और प्रार्थिनी ने उक्त प्रार्थना

न्यायालय डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज देहरादून

shoneekapoor.com

पत्र घटना के संबंध में कोई विशिष्ट तारीख, महीना या वर्ष का उल्लेख नहीं किया है। वैवाहिक विवाद प्रार्थिनी एवं विपक्षी संख्या 1 के बीच है और विपक्षी संख्या 2, 3, 4 एवं 5 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया हैं, जिस पर प्रार्थिनी द्वारा आपत्ति कर कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी के साथ क्रूर का व्यवहार किया तथा उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि विपक्षी संख्या 4 [redacted] का विवाह विपक्षी संख्या 1 व प्रार्थिनी के विवाह से लगभग एक–डेढ वर्ष पहले हो गया था और वर्तमान में विपक्षी संख्या 4 अपने पति के साथ बैंगलोर में निवास करती है। पत्रावली पर विपक्षी संख्या 4 [redacted] द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति में भी उसका निवास स्थान बैंगलोर का है और यह भी तथ्य आ रखा हैं कि प्रार्थिनी मुंबई में जॉब करती थी और वर्तमान देहरादून में जॉब कर रही हैं। प्रार्थिनी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 2 ता 5 के द्वारा घरेलू हिंसा किये जाने के किसी भी तिथि, वर्ष, माह का उल्लेख नही किया गया हैं वरन् मात्र साधारण सा आरोप अभियोग घरेलू हिंसा कारित किये जाने का विपक्षीगण पर दवाब बनाये जाने के आशय से लगाया हैं जबकि प्रकरण में यह भी तथ्य आ रखा है कि विपक्षी संख्या 4 अपने पति के साथ बंगलौर मे रहती हैं और उसका विवाह प्रार्थिनी के विवाह के पूर्व में ही हो गया था। उक्त सभी तथ्य इस बात के द्योतक हैं कि विपक्षीगण पर दवाब बनाने के आशय से विपक्षी संख्या 2 ता 5 के विरूद्व तथ्यों को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत कर उनको पक्षकार बनाया गया हैं। अतः विपक्षी संख्या 2 ता 5 के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रार्थिनी के साथ घरेलू हिंसा कारित किये जाने का तथ्य स्थापति नही होता है जिस कारण से विपक्षी संख्या 2 ता 5 वर्तमान प्रकरण की कार्यवाही मे उन्मोचित किये जाने योग्य हैं। आदेश तद्नुसार–

न्यायालय डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज देहरादून उत्तराखण्ड

**आदेश**

विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार विपक्षी संख्या 2 ता 5 को वर्तमान प्रकरण की कार्यवाही से उन्मोचित किया जाता हैं और उनका नाम बतौर विपक्षी संख्या 2 ता 5 से पृथक किया जाता हैं। इस निमित कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि वह विपक्षी संख्या 2 ता 5 का नाम हटाए जाने बावत संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते सुनवाई/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 डी0वी0एक्ट हेतु दिनांक 24.03.2026 को पेश हो।

19-02-2026

(अमित कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
पंचम अपर सिविल जज (सी0डि0),
देहरादून

सत्य प्रतिलिपि
23/2/2026
मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग (सिविल)
जनपद–न्यायालय, देहरादून

shoneekapoor.com